खण्डपीठ क्रमांक 70 **आप0 प्रकरण क्रमांक 993/2022**
थाना चीनौर वि0 कमल परिहार आदि

13.12.2025 **प्रकरण आज दिनांक 13.12.2025 को नेशनल लोक अदालत में मेरे समक्ष प्रस्तुत।**

राज्य द्वारा एडीपीओ।

पी.एल.व्ही श्री गजेन्द्र सिंह उपस्थित।

अभियुक्तगण सहित अधिवक्ता श्री उमेश पाठक, उपस्थित।

प्रकरण राजीनामा आवेदन पर विचार हेतु नियत है।

प्रकरण एवं आवेदन का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा– 504, 447 विकल्प में 447 सहपठित धारा 34, 506 भाग–2 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का अभियोग है।

प्रकरण में साक्ष्य लेखबद्ध नहीं किये गये।

आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन के निराकरण हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 320 की उपधारा 01 अवलोकनीय है जिसके अनुसार उक्त धारा में दी गई सारणी के प्रथम दो स्तम्भों में विनिर्दिष्ट भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराओं के अधीन दण्डनीय अपराधों का शमन सारणी के तृतीय स्तम्भ में उल्लेखित व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है। उक्त सारणी में धारा 504 एवं 447 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अपराध के शमन का अधिकार उस व्यक्ति को है, जिसको अपमानित किया गया है या वह व्यक्ति जिसके कब्जे में ऐसी सम्पत्ति है जिस पर अतिचार किया गया है।

प्रकरण के अवलोकन से दर्शित हेाता है कि आवेदक फरियादी है एवं वह धारा 320 की उपधारा 4(क) के अंतर्गत अपराध का शमन करने हेतु सक्षम है।

आवेदक द्वारा शमन आवेदन अंतर्गत धारा 320 उपधारा 2 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 भी प्रस्तुत किया गया है जिसके शमन हेतु न्यायालय की अनुमति आवश्यक है। उक्त आवेदन के संबंध में यह अवलोकनीय है कि धारा 506 भाग–2 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अपराध को शमन करने की अधिकारिता उस व्यक्ति को है जिसे आपराधिक अभित्रास कारित किया गया हो। आवेदन एवं प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि आवेदक वह व्यक्ति है जिसे क्षोभ व आपराधिक अभित्रास कारित किया गया एवं धारा 320 की उपधारा 4 के अंतर्गत वह अपराध का शमन करने हेतु सक्षम है।

अभिलेख के अवलोकन से दर्शित है कि अभियुक्तगण पर **भारतीय दण्ड संहिता, 1860** की धारा 34 का भी अभियोजन है। उक्त संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 320 की उपधारा 3 अवलोकनीय है जिसके अनुसार ऐसा कोई अपराध जो धारा 320 के अधीन शमनीय है। ऐसी स्थिति में उक्त अपराध के दुष्प्रेरण, या प्रयत्न या **भारतीय दण्ड संहिता** की धारा 34 के अधीनदायी हो तो उक्त अपराध भी उसी प्रकार से शमन किया जा सकता है।

वर्तमान प्रकरण में आवेदक **महेश सोलंकी** द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है। आवेदक से पूछे जाने पर उसके द्वारा स्वेच्छया बिना किसी डर व दबाव के अपराध का शमन करना व्यक्त किया है। अतः आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन सद्भाविक एवं स्वैच्छिक होकर एवं लोकनीति के विरूद्ध न होना प्रतीत होता है। आवेदक की पहचान श्री उमेश पाठक अधिवक्ता द्वारा की गई एवं उसके द्वारा आवेदक के आधार कार्ड की प्रति पहचान पत्र स्वरूप प्रस्तुत की गई। अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धी अभिलेख से दर्शित नहीं होती है।

अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 320 उपधारा 01 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 स्वीकार किया जाता है एवं आवेदन अंतर्गत धारा 320 उपधारा 02 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के आवेदन को शमन करने की अनुमति दी जाकर अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा– 504, 447 विकल्प में 447 सहपठित धारा 34, 506 भाग–2 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 शमन किया जाता है। शमन हो जाने से

अभियुक्तगण **प्रमोद जाटव, ज्ञानसिंह जाटव, कन्हैयालाल जाटव, अनिल जाटव** को धारा– 320 उपधारा 8 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत धारा 504, 447 विकल्प में 447 सहपठित धारा 34, 506 भाग–2 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप से **दोषमुक्त** कर प्रकरण में **स्वतंत्र** किया जाता है।

अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते हैं।

प्रकरण में कोई जप्तशुदा सम्पत्ति नहीं है।

प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज कर नियत अवधि में अभिलेखार भेजा जावे।

	पीठासीन अधिकारी
	सही/– (**पंकज गोंडू भालेराव**) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भितरवार, जिला ग्वालियर **खण्डपीठ कमांक 70**
सदस्य– **1.** श्री अनिल कुमार नामदेव अधिवक्ता	 **2.** श्री गजेन्द्र सिंह पीएलव्ही